NSW GOVERNMENT

What do I need to know if my child is expelled?

Parent/carer information

यदि मेरी संतान को निष्कासित कर दिया जाता है तो मुझे क्या जानने की आवश्यकता है?

माता-पिता/देखभालकर्ता के लिए जानकारी

निष्कासन क्या होता है?

निष्कासन वह होता है जब प्रिंसिपल और निदेशक, शैक्षिक नेतृत्व एक छात्र/छात्रा को कहते हैं कि उसे स्कूल से निकल जाना होगा और वापिस नहीं आना होगा। निष्कासन एक गंभीर मामला है। निष्कासन का निर्णय लेने से पहले आपकी संतान की सहायता करने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रिंसिपल छात्र/छात्राओं को दो कारणों से निकाल सकते हैं:

- छात्र/छात्रा का व्यवहार चिंताजनक होता है और उनके व्यवहार को प्रबंधित करने की योजनाओं ने काम नहीं किया है।
- छात्र/छात्रा 17 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उन्होंने शिक्षा प्राप्ति में भाग नहीं लिया है।

प्रिंसिपल निष्कासित करने का निर्णय लेने से पहले इस बारे में सोचेंगे कि स्कूल ने आपकी संतान की शिक्षा प्राप्ति में उनकी जरूरतों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कैसे सहायता प्रदान की है।

निष्कासन घटित होने से पहले, प्रिंसिपल आपको यह बताने के लिए आपसे संपर्क करेंगे/गी कि वे आपकी संतान को निकालने के बारे में सोच रहे/ही हैं। वे संभावित निष्कासन की एक लिखित सूचना जारी करेंगे और आपको और आपकी संतान को कारण बताने के लिए एक बैठक (मीटिंग) में आमंत्रित करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि यदि वे आपकी संतान को निष्कासित करते/ती हैं तो क्या होगा। आप मीटिंग में अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति को ला सकते/ती हैं। सहायक व्यक्ति आपको और/या आपकी संतान को भावनात्मक या व्यावहारिक सहायता प्रदान कर सकता/ती है।

लिखित सूचना दिनांक के बाद, आपके पास, आपकी संतान को निष्कासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसके कारणों के साथ स्कूल को जवाब देने के लिए सात स्कूली दिन होंगे। प्रिंसिपल इन जवाबों का उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में करेंगे।

अगर मेरे संतान को निष्कासित कर दिया जायेगा तो क्या होगा?

प्रिंसिपल और डायरेक्टर, एजुकेशनल लीडरशिप मिलकर तय करेंगे कि किसी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जाना है या नहीं। छात्र/छात्रा को निष्कासित करने का निर्णय लेने के 24 घंटों के भीतर, प्रिंसिपल को छात्र/छात्रा और उनके माता-पिता या देखभाल करने वालों को बताना होगा और NSW शिक्षा विभाग को सूचित करना होगा।

अगर आपकी संतान 17 साल से कम उम्र की है और उसे उसके व्यवहार के कारण निष्कासित कर दिया गया है, तो प्रिंसिपल को 15 स्कूली दिनों के भीतर उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए एक नया स्कूल या वैकल्पिक स्थान ढूढ़ना होगा।

अगर आपकी संतान 17 साल से अधिक उम्र की है, तो आप और आपकी संतान को शिक्षा-प्राप्ति जारी रखने या काम पर जाने के लिए विकल्पों की तलाश करनी चाहिए।

मुझे स्कूल से क्या जानकारी मिल सकती है?

आप स्कूल से इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए पूछ सकते/ती हैं कि क्या हुआ और वह क्यों हुआ । स्कूल को आपको किसी भी निर्णय के पीछे का तर्क, क्या कार्रवाई होगी और यदि आपको कोई समस्या है तो क्या करना चाहिए, यह समझाना चाहिए।

क्या मैं निष्कासन के विरुद्ध अपील कर सकता/ती हूँ?

हाँ, यदि आप मानते/ती हैं कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर, एजुकेशनल लीडरशिप ने अनुचित निर्णय लिया है या सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। जानकारी के लिए अपील संसाधन देखें।

आपकी संतान की वकालत करने के बारे में जानकारी उपलब्ध है और साथ ही हमारा स्कूल कम्युनिटी चार्टर भी उपलब्ध है जो स्कूलों के साथ बातचीत करने के तरीके दर्शाता है।

मैं शिकायत कैसे कर सकता/ती हूँ?

यदि आप निष्कासन के, लिए गए निर्णयों के या जो सहायता प्रदान की गई है, उसके बारे में चिंतित हैं, तो शिकायत करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखें।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आप स्कूल से संपर्क करना चाहते/ती हैं और अंग्रेजी में सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फ़ोन करें, उन्हें बतायें कि आपको कौन सी भाषा चाहिए और ऑपरेटर से स्कूल को फोन करने के लिए कहें। आपकी बातचीत में आपकी सहायता करने के लिए ऑपरेटर फ़ोन पर एक दुभाषिया उपलब्ध करवाएगा/गी। आपसे इस सेवा के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।